प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील संख्या **684 /2024**

आदेश सुरक्षित किया गया **:05.12.2024**

आदेश पारित किया गया :12.03.2025

नंकू ओग्रे पिता पंचराम ओग्रे 31 वर्ष , निवासी चक्रवे, पुलिस थाना सिमगा, जिला बलौदा बाजार भाटपारा छत्तीसगढ़

---अपीलकर्त्ता

बनाम

श्रवण चौहान पिता देवेंद्र चौहान 42 वर्ष स्वामी चौहान रीवाइंडिंग मेघा मोटर पंप तथा बोरवालेस, भाटपारा, पास की धन मंडी, भाटपारा सहर, जिला बलौदा बाजार भाटपारा छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :श्री अनिल गुलाटी, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

(सीएवी निर्णय)

1. अपीलकर्ता ने दाण्डिक प्रकरण क्रमांक जे-173/2017 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिमगा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 05.02.2019 (अनुलग्नक ए/1) के आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(4) के तहत वर्तमान दोषमुक्त अपील दायर की है, जिसके द्वारा उत्तरवादी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि परिवादी और उत्तरवादी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। परिवादी ने बोर की आवश्यकता के लिए चौहान रिवाइंडिंग मेगा मोटर पंप और बोरवालेस भाटापारा चलाने वाले अभियुक्त से सेवाएं प्रदान करने और मशीनरी की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। तदनुसार, परिवादी ने अभियुक्त के पास 2,05,000/– रुपये जमा किए हैं।तदनुसार, परिवादी ने अभियुक्त के पास 2,05,000/– रुपए जमा करा दिए। बाद में दो महीने बाद अभियुक्त ने सेवा देने और मशीनरी की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता दिखाई, इसलिए अभियुक्त ने आंध्रा बैंक, शाखा–भाटापारा में 2,05,000/– रुपए का चेक क्रमांक 259771 दिनांक 10.02.2017 दिया। उक्त चेक परिवादी द्वारा इलाहाबाद बैंक में खोले गए खाते में 13.02.2017 को जमा करा दिया गया।उक्त चेक 22.02.2017 को ज्ञापन दिनांक 22.02.2017 के माध्यम से "अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित" के पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया था। परिवादी ने 23.03.2017 को अभियुक्त को विधिक नोटिस भेजा, जो उसे 25.03.2017 को प्राप्त हुआ। न तो राशि का भुगतान किया गया और न ही प्रत्यर्थी ने उक्त नोटिस का उत्तर दिया, इसलिए परिवादी ने 10.04.2017 को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाटापारा (छ.ग.) के समक्ष परिवाद दर्ज कराई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. परिवादी ने अपना मामला साबित करने के लिए एन.आई. अधिनियम की धारा 145 के तहत दिए गए शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं की जांच की है और दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं, अर्थात चेक दिनांक 10.02.2017 (प्रदर्श पी/1), चेक जमा ज्ञापन (प्रदर्श पी/2), चेक अग्रेषण ज्ञापन (प्रदर्श पी/3) नोटिस दिनांक 23.03.2017 (प्रदर्श पी/4), डाक रसीद (प्रदर्श पी/5), डाक विभाग से प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी/6)। अभियुक्त ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत स्वयं की परीक्षा की है, जिसमें उसने कहा है कि चेक किसी देयता के लिए जारी नहीं किया गया है और उसके द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।उन्होंने यह भी कहा है कि चेक पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। अभियुक्त ने इंद्रनील मुखर्जी (डी. डब्ल्यू1.) नामक जैसे   साक्षीयॊ कि परीक्षा की है। अभियुक्त ने बैंक खाता खोलने (प्रदर्श डी/1), बैंक स्टेटमेंट (प्रदर्श डी/2) और सीआरपीसी की धारा 155 के तहत रिपोर्ट (प्रदर्श डी/3) के बारे में व्यक्तिगत डेटा प्रदर्शित किया है।परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में हलफनामे के माध्यम से परिवाद में कियॆ गयॆ तर्क को दोहराया है। साक्ष्य के कंडिका 17 में उक्त गवाह ने कहा है कि वह जानता है कि 2,05,000/– रुपए बिना किसी दस्तावेज के नहीं दिए जा सकते हैं और इस भुगतान के संबंध में परिवादी और अभियुक्त के बीच कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था।साक्षी ने कहा है कि उसने अभियुक्त को 2,05,000/– रुपए दिए हैं और सुरक्षा के तौर पर उसने यह चेक दिया है (प्रदर्श पी/1)।उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब अभियुक्त ने बोरिंग का काम नहीं किया है, तब भी उसने अभियुक्त को कोई सूचना नहीं दी है।

4. साक्ष्य और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि परिवादी यह साबित नहीं कर पाया है कि उसने अभियुक्त को पैसे दिए हैं और चेक देयता के लिए दिया गया था।उसने यह भी निष्कर्ष दर्ज किया है कि चेक में उपलब्ध अभियुक्त के हस्ताक्षर व्यक्तिगत डेटा (प्रदर्श डी/1) से मेल नहीं खाते हैं।तदनुसार, आक्षेपित आदेश द्वारा परिवाद को खारिज कर दिया गया है

और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर परिवादी ने यह दोषमुक्ति अपील दायर की है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्तानें यह प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विधि के साथ–साथ तथ्यों की दृष्टि से भी गलत है।उन्होंने कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय उत्तरवादी द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए चेक का मूल्यांकन करने में विफल रहा, जो उत्तरवादी के खाते में देयता के लिए दिए गए चेक में अपर्याप्त शेष राशि के कारण अनादरित हो गया। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने श्री इंद्रनील मुखर्जी (डीडब्ल्यू–1) के बयान पर भरोसा करके अवैधानिकता की है, जिन्होंने कहा है कि चेक में अभियुक्त के हस्ताक्षर को हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय के बिना मिलान नहीं किया गया है, इस प्रकार, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अवैध है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्षीयों अर्थात् उसकी पत्नी और विजय ओगरे की परीक्षण न करके तथा साक्षी लक्ष्मीनारायण की भी परीक्षण न करके अनावश्यक रूप से अभियुक्त के पक्ष में प्रभाव डाला है, जिसके साथ वह अभियुक्त से पैसे मांगने गया था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष विकृत है और इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इंद्रनील मुखर्जी (डीडब्लू–1) जो कि भाटापारा स्थित आंध्रा बैंक के शाखा प्रबंधक हैं, ने अपने कथन में कहा है कि प्रदर्श पी/1 में जो हस्ताक्षर थे, वह प्रदर्शक के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि कि डीडब्लू–3 संत कुमार ने कहा है कि परिवादी ने उल्लेख किया है कि उसने विजय अंगारे और उसकी पत्नी के सामने अभियुक्त को 2,05,000/– रुपए दिए हैं और यह तथ्य प्रदर्श डी/3 पुलिस रिपोर्ट में सीआरपीसी की धारा 155 के तहत उल्लेखित नहीं किया गया है।उन्होंने आगे कहा कि परिवादी ने उन साक्षीयों की जांच नहीं की है, जिनकी उपस्थिति में उसने पक्षों के बीच लेन–देन को साबित करने के लिए पैसे दिए हैं, इस तरह से इसने सही ढंग से अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि परिवादी अपने पक्ष में अनुमान लगाने में विफल रहा है, इसलिए परिवाद को खारिज करना विधिक और न्यायोचित है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का औचित्य नहीं रखता है और अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए उभर कर आया मुद्दा यह है:

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि परिवादी ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है, विधिक और न्यायोचित है?"

इस बिन्दु को समझने के लिए, इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया। परिवादी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने धान को 1,10,000/– रुपये में बेचने के बाद बोरिंग मशीनों की

आपूर्ति के लिए नकद पैसा दिया था तथा शेष राशि 30 डिसमिल जमीन बेचने के बाद एकत्र की थी। परिवादी ने इस बात से इनकार किया है कि निखिल सोनी ने उसकी दुकान से यह चेक दिया है। उसने स्वीकार किया है कि आरोपी ने आरोपी को दिए गए पैसे की सुरक्षा के लिए चेक दिया है। परिवादी ने कहा है कि चेक पर आरोपी ने हस्ताक्षर किए हैं तथा लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि चेक ऋण अथवा देयता के लिए दिया गया था।मामले के अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि अभियुक्त ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि परिवादी ने उसे पैसा दिया है, इसलिए जिस चेक को सुरक्षा के रूप में दिया गया है, वह अवधि समाप्त होने के बाद देयता का चेक बन गया है, जो कि देने के 2 या 3 दिन बाद है, क्योंकि मशीनों की आपूर्ति 2 या 3 दिन के भीतर की जानी थी।इस प्रकार, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि चेक किसी देयता के लिए नहीं था, विकृति से ग्रस्त है।

अभियुक्त ने यह तर्क दिया है कि चेक में दिखाए गए हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हैं और इस कथन को प्रमाणित करने के लिए बैंक मैनेजर से पूछताछ की गई, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत परिभाषित विशेषज्ञ नहीं है, इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बैंक मैनेजर इंद्रनील मुखर्जी के साक्ष्य पर भरोसा करके अवैधानिकता की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसी तरह, परिवादी की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाने के लिए आरोपी ने नरेंद्र नाथ महापात्रा (डीडब्लू-2) से पूछताछ की, जिन्होंने कहा है कि परिवादी बैंक खाते में कभी भी 20,000-25,000/- से अधिक राशि नहीं रखता है। यह साक्ष्य अभियुक्त को कोई सहायता नहीं देता है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद कहा है कि उसने धान और अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर यह राशि एकत्र की है। इसके अलावा अभियुक्त ने संत कुमार (डीडब्लू-3) से पूछताछ की, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 155 के तहत रिपोर्ट पेश की है और कहा है कि परिवादी ने कभी भी अपनी पत्नी और अन्य व्यक्ति के सामने अभियुक्त को 2,05,000/- रुपये के भुगतान के बारे में उल्लेख नहीं किया है। यह कथन असंगत है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए केवल आवश्यक तत्व अर्थात देयता के लिए चेक दिया जाना चाहिए था, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रदान की गई वैधानिक नोटिस की सेवा के बावजूद, अभियुक्त ने परिवादी को चेक की राशि का भुगतान नहीं किया है, तो अभियुक्त द्वारा खंडन किए जाने तक चेक धारक के पक्ष में अनुमान लगाया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त ने 23.03.2017 के पंजीकृत नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जो 25.03.2017 को अभियुक्त को दिया गया था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य या सामग्री के माध्यम से अनुमान का खंडन करने में असमर्थ है।**दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा के मामले में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 (8) एससीसी 573 में कंडिका 27 और 28 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"27. एनआई अधिनियम 1881 की धारा 118, 139 और 140 का व्यापक संदर्भ एक काल्पनिक कल्पना को जन्म देता है जिसे इस न्यायालय ने के.एन. बीना बनाम मुनियप्पन और अन्य में इस प्रकार व्यक्त किया था:

“धारा 118 के तहत, जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, यह माना जाना चाहिए कि परक्राम्य लिखत (चेक सहित) विचार के लिए बनाया या तैयार किया गया था। धारा 139 के तहत न्यायालय को यह मानना होगा, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, कि चेक के धारक ने ऋण या देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक प्राप्त किया था।इस प्रकार, धारा 138 के तहत परिवाद में, न्यायालय को यह मानना होगा कि चेक देनदार की देनदारी के लिए जारी किया गया था। यह अनुमान खंडनीय है। हालांकि, यह साबित करने का भार कि चेक ऋण या देनदारी के लिए जारी नहीं किया गया था, अभियुक्त पर है। हितेन पी. दलाल बनाम ब्रतींद्रनाथ बनर्जी के 9 (2001) 8 एससीसी 458 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है।"

28. इसके अलावा, उपर्युक्त वैधानिक अनुमान के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के पहलू पर, रंगप्पा (सुप्रा) और राजेश जैन (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों को संचयी रूप से पढ़ना उचित है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि आरोपी निस्संदेह परिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकता है, जिसमें न केवल मूल परिवाद में परिवादी का संस्करण शामिल होगा, बल्कि विधिक या मांग नोटिस में मामला, विचारण में परिवादी का मामला, साथ ही उत्तर नोटिस में अभियुक्त के तर्क दिया , दं. प्र. सं. कि धारा 313 के तहत उसका बयान या परीक्षण में उन परिस्थितियों के बारे में जिसके तहत वचन पत्र या चेक निष्पादित किया गया था। अभियुक्त को संबंधित वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए उक्त परिस्थितियों में अपने अंत से कोई और या नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने इस धारणा का खंडन करने के लिए स्वयं की जांच नहीं की है कि उसने परिवादी से कोई पैसा प्राप्त नहीं किया है, उसने केवल दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत स्वयं की जांच की है, जिसे चेक धारक के पक्ष में की गई धारणा का खंडन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान केवल अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितियों को स्पष्ट करता है, धारणा का खंडन नहीं करता है।इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया है, बल्कि यह बचाव किया है कि उसे नोटिस की तामील नहीं हुई, जबकि नोटिस पंजीकृत नोटिस पर भेजा गया था, जो वाद शीर्षक में दिए गए पते और आरोप ज्ञापन के विवरण में था और यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए नोटिस में भी वाद शीर्षक में जो पता दिया गया है, वह नोटिस और शिकायत में दिए गए पते के समान है। इस प्रकार, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के अनुसार यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि अभियुक्त को नोटिस की तामील हो गई है।दं. प्र. सं. की धारा 313 को छोड़कर अभियुक्त से स्वयं पूछताछ न करने, वैधानिक नोटिस का कोई जवाब न देने से संबंधित यह विवाद्यक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुमिति विज बनाम मेसर्स पैरामाउंट टेक फैब इंडस्ट्रीज के मामले में 2022 (15) एससीसी 689 में विचार के लिए आया है,जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 18 से 20 में निम्नानुसार निर्णय दिया हैः“18. इसके बाद, परिवादी द्वारा दो अलग-अलग कानूनी नोटिस दिए गए, जिन्हें अपीलकर्ता ने विधिवत प्राप्त कर लिया और उक्त नोटिस प्राप्त करने के बाद भी, अपीलकर्ता ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही पंद्रह दिनों की वैधानिक

अवधि के भीतर कोई भुगतान किया और उसके बाद ही, परिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता आरोपी के खिलाफ दो अलग–अलग परिवाद दर्ज की गईं।

19. अपीलकर्ता द्वारा किसी भी स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, न तो जब चेक जारी किए गए थे, या उसके बैंकर को प्रस्तुत करने के बाद, या जब उन्हें अपमानित किया गया था, या कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि दोनों चेक उसके बैंकर को प्रस्तुत किए जाने पर इस नोट के साथ वापस कर दिए गए थे कि इसे "अपर्याप्त धन" के कारण सम्मानित नहीं किया जा सकता है।

20. इसके अलावा, जब परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में ये सभी दस्तावेज पेश किए और इसके समर्थन में तीन गवाहों के बयान दर्ज किए, तो अपीलकर्ता ने धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज किया, लेकिन अधिनियम की धारा 139 के तहत उपलब्ध अपने बचाव के समर्थन में अनुमान को गलत साबित करने या खंडन करने के लिए सबूत दर्ज करने में विफल रही। धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त का बयान बचाव का एक ठोस साक्ष्य नहीं है, बल्कि अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के मामले में दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को स्पष्ट करने का एक अवसर मात्र है।इसलिए, इस धारणा का खंडन करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है कि चेक विचार हेतु जारी किए गए थे।"

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अभियुक्त ने इस तथ्य का खंडन भी नहीं किया है कि चेक उससे संबंधित नहीं है, हालांकि उसने बैंक मैनेजर के साक्ष्य की सहायता से यह कहकर चेक जारी करने का खंडन करने का प्रयास किया कि चेक पर उसका हस्ताक्षर नहीं है। इसे केवल स्वयं सेवा कथन और शाखा प्रबंधक के कथन पर शिकायतकर्ता के पक्ष में की गई धारणा का खंडन नहीं कहा जा सकता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार विषय का विशेषज्ञ नहीं है, ऐसे में यह धारणा शिकायतकर्ता के पक्ष में बनाई जानी चाहिए थी, न कि अभियुक्त के पक्ष में। मामले के रिकॉर्ड से यह प्रदर्शित होता है कि अभियुक्त ने यह भी नहीं कहा है कि चेक भुगतानकर्ता को स्वेच्छा से नहीं दिया गया था और जिन परिस्थितियों में चेक परिवादी को दिया गया था, उनके संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह उचित रूप से माना जा सकता है कि चेक अभियुक्त द्वारा दिया गया था। चेक में हस्ताक्षर के संबंध में मुद्दा बीर सिंह बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है। मुकेश कुमार ने 2019 (4) एससीसी 197 में रिपोर्ट की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 32 से 38 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"32. उपर्युक्त निर्णयों से जो कानून का प्रस्ताव उभरता है वह यह है कि धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन करने का दायित्व कि चेक ऋण या देयता के निर्वहन में जारी किया गया है, अभियुक्त पर है और यह तथ्य कि चेक पोस्ट डेटेड हो सकता है, चेक के लेखक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के दंडात्मक परिणामों से मुक्त नहीं करता है।

33. परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 20, 87 और 139, का सार्थक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो चेक पर हस्ताक्षर करता है और उसे आदाता को सौंपता है, तब तक उत्तरदायी बना रहता है जब तक कि वह इस धारणा का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता कि चेक ऋण के भुगतान या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। यदि चेक पर आदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, तो यह बात अप्रासंगिक है कि चेक आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया हो।यदि चेक अन्यथा वैध है, तो धारा 138 के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा।

34. यदि हस्ताक्षरित खाली चेक किसी भुगतान के लिए स्वेच्छा से आदाता को प्रस्तुत किया जाता है, तो आदाता राशि और अन्य विवरण भर सकता है।यह अपने आप में चेक को अमान्य नहीं करेगा।अभियुक्त पर अभी भी यह साबित करने का दायित्व होगा कि चेक किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन में नहीं था, इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करतें है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. उत्तरवादी –अभियुक्त का यह प्रकरण नहीं है कि उसने चेक पर हस्ताक्षर किए या किसी धमकी या दबाव के तहत उसे छोड़ दिया।न ही उत्तरवादी –अभियुक्त का मामला यह है कि बिना भरा हुआ हस्ताक्षरित चेक चोरी हो गया था।चेक के प्राप्तकर्ता और उसके लेखक के बीच प्रत्ययी संबंध का अस्तित्व, अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती के साक्ष्य के अभाव में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान के लाभ से प्राप्तकर्ता को वंचित नहीं करेगा।दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक है।

36. यहां तक कि अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षरित और सौंपे गए खाली चेक लीफ, जो किसी भुगतान के लिए है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान लगाया जाएगा, जब तक कि यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत न हो कि चेक किसी ऋण के भुगतान के लिए जारी नहीं किया गया था।

37. यह तथ्य कि अपीलकर्ता–शिकायतकर्ता कानून के ज्ञान से परिचित आयकर व्यवसायी हो सकता है, चेक के अनादर से संबंधित कानून में कोई अंतर नहीं डालता है।यह तथ्य कि ऋण चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम नहीं दिया गया हो या रसीद प्राप्त नहीं की गई हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है।इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना शायद अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रतिवादी–अभियुक्त को अपीलकर्ता–परिवादी को खाली चेक देना चाहिए था या उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए था, जैसा कि प्रतिवादी–अभियुक्त ने दावा किया है, यह दर्शाता है कि शुरू में उनके बीच आपसी विश्वास और आस्था थी।

38. इस बात के किसी निष्कर्ष के अभाव में कि विचाराधीन चेक पर प्रतिवादी–अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे या स्वेच्छा से आदाता को नहीं दिए गए थे और उन परिस्थितियों के संबंध में किसी साक्ष्य के अभाव में जिनमें अपीलकर्ता–परिवादी को एक खाली हस्ताक्षरित चेक दिया गया था, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि चेक को अपीलकर्ता–परिवादी द्वारा आदाता होने के नाते प्रतिवादी–अभियुक्त जो कि चेककर्ता है, की उपस्थिति में उसके अनुरोध पर और/या उसकी सहमति से भरा गया था।

अधूरे हस्ताक्षरित चेक को बाद में भरना कोई परिवर्तन नहीं है।चेक की राशि, इसकी तिथि या प्राप्तकर्ता के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था।उच्च न्यायालय को 11 में से प्रतिवादी–अभियुक्त को बरी नहीं करना चाहिए था।

उच्च न्यायालय को उत्तरवादी –अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोप से दोषमुक्त नहीं करना चाहिए था।"

12. विषय पर तथ्य और विधि को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि परिवाद को खारिज करने वाला विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विकृति, अवैधता और विवेक के अभाव से ग्रस्त है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।तदनुसार, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियुक्त एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।परंतु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तरवादी /अभियुक्त को केवल 50,000/– रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया जाता है, इसके अलावा चेक राशि 2,05,000/– रुपये अभियुक्त को देय है।जुर्माने की 50,000/– रुपये की राशि परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देय है।चेक की राशि और क्षतिपूर्ति आज से छह सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर अभियुक्त को छह महीने के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।

13. परिणामस्वरूप, दोषमुक्ति अपील को स्वीकार किया जाता है।14. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur